



2026:AHC:11188

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 276 वर्ष 2026

गौरव कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	ओमवीर सिंह राजपूत
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	ए.एस.जी.आई., बाल मुकुंद

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. यह रिट याचिका परमादेश की प्रकृति का निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है, जिसमें दूसरे और तीसरे प्रत्यर्थी को यह आदेश दिया जाए कि वे रिट याचिकाकर्ता को 28.11.2025 और 30.11.2025 की आमंत्रण पत्र के अनुसार अग्निवीर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दें।
3. आज प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.11.2025 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुसार रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी दिनांक 13.12.2025 को अस्वीकृत कर दी गई है; उक्त आदेश नीचे उद्धृत है:

"उम्मीदवारी का निरस्तीकरण"

1. कृपया निम्नलिखित देखें:-



1.1 इस कार्यालय के आमंत्रण पत्र संख्या 1 आर/1424/2025 दिनांक 24 नवंबर 2025, आमंत्रण पत्र संख्या 2 आर/1424/2025 दिनांक 26 नवंबर 2025, और आमंत्रण पत्र संख्या 3-आर/1424/2025 दिनांक 01 दिसंबर 2025।

1.2 इस कार्यालय का कारण बताओ सूचना संख्या 1 आर/1424/2025 दिनांक 26 नवंबर 2025 और इस कार्यालय का कारण बताओ सूचना संख्या 2-आर/1424/2025 दिनांक 01 दिसंबर 2025।

1.3 अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र संख्या आर/1424/2025, दिनांक 07 दिसंबर 2025

2. आपको सूचित किया जाता है कि अग्निवीर जीडी श्रेणी के लिए आपका चयन अस्थायी रूप से किया गया है। हालाँकि, प्रस्थान के समय दस्तावेजों की जाँच के दौरान यह बात सामने आई है कि आपके विरुद्ध भादसं की धारा 191(2), 191(2), 190, 110, 352, 351(2) के तहत प्राथमिकी संख्या 0131/2025 दर्ज है। और साथ ही, 13 दिसंबर 2025 को प्रस्थान के अंतिम दिन आप पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे।

3. प्रचलित नीति के अनुसार, आपको प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता है, और आपके विरुद्ध लंबित प्राथमिकी (जैसा कि ऊपर प्रस्तर 1 में उल्लेखित है) के कारण आपकी उम्मीदवारी एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को, विधि के अंतर्गत अनुमत उपायों का सहारा लेते हुए, इस पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

6. आज प्रस्तुत निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

जनवरी 16, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)